[12/8/2021]

परिशिष्ट-1

प्रश्न सं. [क्र. 452]

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
क्षेत्रीय कार्यालय-भोपाल

विषयः राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन के संबंध में/ विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 452 (सदन में उत्तर देने की दिनांक 11.08.2021) द्वारा श्री बापूसिंह तवर।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि परियोजना कार्यान्वयन इकाई, इन्दौर से प्राप्त जानकारी के अनुसार जानकारी निम्नानुसार है:-

सं.क्र.	प्रश्न	उत्तर
(क)	राजगढ जिला मुख्यालय से निकलने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग किस दिनांक को पूर्ण हुआ तथा किस दिनांक से टोल टेक्स की वसूली प्रारंभ हो गई? दिनांक सहित जानकारी दें।	राजगढ जिला मुख्यालय से निकलने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-52 (old रा.रा. क्रमांक-3) के ब्यावरा से देवास खण्ड के किमी 426.100 से 566.450 तक का 4 -लेन चौडीकरण कार्य की Provisional Commercial Operation Date (PCOD-I) दिनांक 30.04.2019 PCOD-II दिनांक 30.12.2019 एवं Commercial Operations Date (COD) दिनांक 22.07.2020 को Competent Authority की स्वीकृति पश्चात स्वतंत्रता परामर्शदाता (IE) द्वारा जारी की गई है तथा टोल टेक्स की वसूली प्रारंभ दिनांक अनुबंध अनुसार 30.04.2019 से है।
(ख)	प्रश्न की कंडिका (क) अनुसार क्या बायपास निर्माण में शासकीय मापदण्डों के अनुरूप तथा डी.पी.आर. के अनुसार जैसे सर्विस रोड? रोड के मध्य में प्लानटेशन? सुरक्षा के संकेत? तथा अन्य आर्हताये पुर्ण की गई है?	इस संबंध में लेख है कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्र-52 (Old रा.रा. क्र-3) के ब्यावरा से देवास खण्ड के किमी 426.100 से 566.450 तक का 4 - लेन चौडीकरण कार्य Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) Mode के आधार पर किया गया है। DBFOT Mode के अन्तर्गत कन्सेशनायर द्वारा अनुबंध अनुसार निर्माण कार्य दिये जोन का प्रावधान है। डी.पी.आर अनुबंध का भाग नहीं है। अतः कन्सेशनायर द्वारा ब्यावरा से देवास खण्ड का 4-लेन चौडीकरण कार्य अनुबंध अनुसार मापदण्डों के अनुरूप किया गया है।
(ग)	प्रश्न की कंडिका (ख) अनुसार यदि संपूर्ण आर्हतायें पूर्ण नहीं है तो क्या शासन दोषी अधिकारी/निर्माण एजेंसी के विरूध कोई कार्यवाही करेगा यदि हां तो क्या, कब तक? नही तो क्यों नहीं?	लागू नहीं।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

महेश गामी

उप महाप्रबंधक (तक.)